न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/96/2021	2021/528	27.05.2021	06.08.2024

1. सुभाष चंद गुप्ता पुत्र श्री श्योनारायण गुप्ता जाति वैश्य उम्र करीब 55 साल उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग पॉस कोड 28851 ग्रा0पं. खरखडी कलां तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज0)। —अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)। —रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थे का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 प्र0सं0 24/2021

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 741/1993, पॉस मशीन कोड सं 28851 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागयी पैरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर ने दिनांक 30—03—2021 को यह आदेश पारित किया है कि "प्रवर्तन निरीक्षक थानागाजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुभाष चंद गुप्ता पुत्र श्री श्योनारायण गुप्ता जाति वैश्य उम्र करीब 55 साल उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग पॉस कोड 28851 ग्राम पंचायत खरखडी कलां तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. द्वारा राशन सामग्री वितरण में पाई गई अनियमितताओं के कारणं प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।" जांच रिपोर्ट दिनांक 25—03—2021 में प्रवर्तन निरीक्षक थानागाजी द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए रिपोर्ट पेश की। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलाण्ट को सुने दिनांक 30—03—2021 को माननीय जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा निलम्बित फरमाया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को आयद है। जिस कारण यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार के क्षेत्राधिकार में है। आलोच्य आज्ञा दिनांक 30—03—2021 को पारित की गई है। उसके बाद अपीलाण्ट तहत न्यायालय से निर्णय करने का आग्रह करता रहा, लेकिन तहत अदालत द्वारा निर्णय करने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अंतिम बार आग्रह करने पर दिनांक 24—05—2021 को तहत अदालत ने निर्णय करने से साफ इंकार कर दिया। इसके अलावा कोविड—19 कोराना महामारी के कारण भी अपीलाण्ट अंदर अवधि अपील पेश नहीं कर सका। उक्त दोनों कारणों के कारण अपील पेश करने में जो समय व्यतीत हुआ है, वह नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित है तथा काबिल माफी है। जो समय म्याद में मुजरा दिए जाने से तारीख इंकारी से यह अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसके लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद कानून अलग से पेश है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत खरखडी कलां तहसील थानागाजी जिला अलवर में उचित मूल्य का दुकान है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत खरखडी कलां में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 741/1993 है। जो वर्ष 1993 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है तथा सन 1993 से मिन अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रहीं है, जो तथ्य काबिल गौर श्रीमान है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25—03—2021 को अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान के मौके पर आकर कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई ना ही अपीलाण्ट की उपस्थिति में कोई जांच रिपोर्ट तैयार की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

गई। प्रवर्तन अधिकारी ने ग्राम पंचायत थानागाजी के नवनिर्वाचित सरपंच श्री भागीरथ प्रसाद सैनी के दबाव में आकर जांच रिपोर्ट उनके निवास पर तैयार की गई है, जो गलत तथा वास्तविकता के विपरीत है व काबिल गौर श्रीमान है। ग्राम पंचायत खरखडी कलां के सरपंच पद के चुनाव की रंजिश की वजह से एवं 1/2 भाग उचित मूल्य दुकानदार कृष्ण मुरारी पुत्र महेश कुमार सरपंच के मिलने वाले हैं व महेश कुमार के व अपीलाण्ट के परिवार के बीच में काफी रेवेन्यू व सिविल मुकदमाबाजी काफी समय से चल रही है। जिस कारण से तथा सरपंच की अनुचित मांग पूरी नहीं करने के कारण सरपंच से मिल कर अपीलाण्ट के खिलाफ गलत कार्यवाही कराई गई है। जो काबिल गौर न्यायालय श्रीमान है। जांच रिपोर्ट दिनांक 25–03–2021 के आधार पर जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उस कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 30–03–2021 को उपस्थित होकर पेश कर दिया गया था एवं साक्ष्य के रूप में दस्तावेज भी पेश कर दिए गए थे जिसके बावजूद भी मनमाने तौर पर गलत तरीके से माननीय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। जो आदेश निरस्तनीय है तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार होने योग्य है। जब कारण बताओ नोटिस का जवाब ही दिनांक 30–03–2021 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था तो उसके बाद जिला रसद अधिकारी को उक्त प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नही किया गया, जो गलत है। उसके बाद दिनांक 18–05–2021 को भी अपीलाण्ट के प्रकरण का निस्तारण नही करना व अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित रखा जाने से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी अपीलाण्ट को अनुचित परेशान करना चाहते है। इसलिए भी उनका आदेश निरस्तनीय है। आज तक अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी उपभोक्ता ने कोई शिकायत नही की है। हाल निर्वाचित सरपंच श्री भागीरथ सैनी अपीलाण्ट से रिश्वत के रूप में प्रत्येक माह 2 बोरी गेहूँ निशुल्क देने की नाजायज मांग करता है। जिसके लिए मना करने पर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने की धमकी देता है तथा जिस कारण से अपीलाण्ट के खिलाफ झूठी शिकायत रसद अधिकारी अलवर के समक्ष की है। जो कि काबिल गौर न्यायालय श्रीमान है । अपीलाण्ट के खिलाफ जो नोटिस में आरोप लगाए गए है वे झूठे व निराधार है। जो आरोप केवल अपीलाण्ट के खिलाफ प्रकरण बनाने की नियत से लगाए गए है। अपीलाण्ट द्वारा राज्य सरकार के आदेश व जिला रसद अधिकारी के आदेशानुसार उचित मूल्य सामग्री का वितरण पॉस मशीन के द्वारा बॉयोमैट्रिक सत्यापन व फिंगर प्रिंट लगवा कर ही किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व गबन का अंदेशा नही है। जो काबिल गौर श्रीमान है। इसलिए आलोच्य आज्ञा रसद अधिकारी अलवर अपास्त होने तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार होने योग्य है। कारण बताओ नोटिस में नमन जांगिड की शिकायत को हाईलाईट किया गया है, जबकि नमन जांगिड के नाम से कोई राशन कार्ड जारी नहीं है बल्कि उसके पिता मदन लाल जांगिड के नाम से राशन कार्ड है तथा उसकी शिकायत सन 2016 में किया जाना दर्ज किया गया है। यदि उपभोक्ता को कोई शिकायत होती तो वह उसी समय शिकायत करता 5 साल बाद झूठे व मनमाने बयान दर्ज किए गए है। रोहिताश पुत्र हरफूल सैनी द्वारा झूठे बयान दर्ज कराए गए हैं। जो सरपंच के परिवार का व्यक्ति है, जिन्हें हर माह ऑन लाईन बायोमेट्रिक तथा सत्यापन कराकर व फिंगर प्रिंट व ओटीपी के माध्यम से राशन सामग्री वितरित की गई है। उपभोक्ता रामोतार सैनी सरपंच का चाचा लगता है। रामोतार की पत्नि राशन सामग्री हर महिना पॉस मशीन से अंगूठा लगा कर ले जाती रही है, जिसमें कोई अनियमितता नही बरती गई है ना ही गबन किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, वह गलत तथा सरपंच के अनुचित प्रभाव व दबाव में तैयार की गई है, जो कि सत्यता के सर्वथा विपरीत है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार होने तथा श्रीमान जिला रसद अधिकारी का आलोच्य आदेश अपास्त होने योग्य है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30–06–2016, 19–07–2016 व 05–08–2016 को पॉस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24–03–2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी नम्बर आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है, जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्पयूटराईज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पॉश मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशन कार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं। अपीलाण्ट वर्ष 1993 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र आलोच्य आदेश दिनांक 30–03–2021 से निलम्बित चल रहा है । जिससे अपीलाण्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलाण्ट स्वयं का व अपने परिवार का गुजर बसर करता है, जिससे न्यायहित में अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। जिला रसद अधिकार अलवर द्वारा अपना फैसला विधि विरूद्ध तरीके से मनमर्जी में एकतरफा में पारित

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

किया गया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी अलवर का आलोच्य आदेश दिनांक 30–03–2021 काबिल निरस्तनीय है व अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाए जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसाला देने से पूर्व सगुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जो मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलाण्ट को प्रदान नहीं किया गया है। जिस कारण से पारित आदेश दिनांक 30–03–2021 निरस्त फरमाए जाने योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों की जानबूझकर किसी प्रकार से भी उल्लंघन नहीं किया गया है एव ना ही किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। इसलिए भी जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 30–03–2021 काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर का आलोच्य आदेश दिनांक 30–03–2021 प्रकरण संख्या 24/2021 जिसके द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 741/1993 पॉस कोड 28851 विधि विरूद्ध तरीके से निलम्बित किया गया है, वो आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 741/1993 पॉस कोड 28851 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत खरखडी कलां तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खरखडी कलां 1/2 भाग तहसील थानागाजी के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 2, 5, 9, 17(सी) एवं 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2015 के प्रावधानों का उल्लघन कर उपभोक्ताओं को 361 किग्रा गेहूं, 17 किग्रा चना एवं 20 लीटर कैरोसीन का वितरण नहीं किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक थानागाजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 27.05.2021 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खरखडी कलां 1/2 भाग तहसील थानागाजी, राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 2, 5, 9, 17(सी) एवं 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2015 के प्रावधानों का उल्लघन कर उपभोक्ताओं को 361 किग्रा गेहूं, 17 किग्रा चना एवं 20 लीटर कैरोसीन का वितरण नहीं किया जाकर दुरूपयोग किया गया है एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की शिकायत दिनांक 27.05.2022 की पालना में गठित संयुक्त जांच दल दिनांक 15.06.2022 को अपनी रिपोर्ट में राशन डीलर के खिलाफ गंभीर अनियमितता पाए जाने पर नया प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु श्रीमान् उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट भिजवायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को तय सीमा से कम राशन साम्रगी वितरण किया गया है जो अनियमितता की श्रेणी में होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 30.03.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)